

राजस्थान सरकार
कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, नागौर (राज.)

सुखद जीवन योजना के अंतर्गत निःशक्तों की शादी हेतु अनुदान प्राप्त करने का आवेदन पत्र

जिला अधिकारी,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
नागौर



विषय :- विकलांग विवाह हेतु सहायता (अनुदान) प्राप्त करना

महोदय,

निवेदन है कि हम एवं को (वस्तुओं का विवरण) प्रदान करें।

1. नाम :
2. पिता का नाम :
3. जन्म तिथि :
4. जाति :
5. गांव/तहसील :

हमने दिनांक को आपस में स्वेच्छा से विवाह कर लिया/करने का निश्चय किया है, विवाह तिथि को वर की आयु वर्ष एवं वधू की आयु वर्ष है।

मैं/हम श्रेणी के विकलांग है जिसकी पुष्टि में अधिकृत चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।

अतः हमें रु. 20000/- सहायता स्वीकृत करने का श्रम करें।

संलग्न :-

भवदीय

1. शादी का कार्ड
2. विकलांग प्रमाण पत्र वर के हस्ताक्षर
3. वर वधू के माता पिता का शपथ पत्र वधू के हस्ताक्षर
4. जन्म तिथि प्रमाण पत्र
5. विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र